राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प. 1(1)साप्र/2/2018 जयपुर, दिनांक : 08-02-2019

–: आदेश :–

श्री रोहित कुमार सिंह, आई.ए.एस अतिरिक्त मुख्य सचिव,चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर को उनकी प्रथम श्रेणी की वरीयता संख्या 09/2018 व सेवानिवृत्ति दिनांक 31.03.2024 है, के आधार पर नियमानुसार किराये पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवण्टन नियम, 1958 के नियम 27 के प्रावधान अन्तर्गत **आउट ऑफ टर्न** प्रथम श्रेणी का राजकीय आवास संख्या 1/11, सौम्य मार्ग, गांधीनगर जयपुर **(रिक्त होने की प्रत्याशा मे)** जयपुर का निम्न शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन किया जाता है:–

शर्तें :–

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी– चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:–
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तंत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(महेश चन्द्र शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
3. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. **श्री रोहित कुमार सिंह, आई.ए.एस अतिरिक्त मुख्य सचिव,चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड–तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करें।**
6. सम्भागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, जयपुर।
7. संयुक्त सचिव (जीबी), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर को उनकी आई.डी. संख्या एफ 19000712 दिनांक 07.02.2019 के क्रम में।
8. निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
9. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. **अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड–तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।**
12. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, गांधीनगर, जयपुर
13. उद्यानविज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. सहायक अभियन्ता, चौकी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, गांधीनगर–चौकी, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें, साथ ही आवण्टी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय को भी भिजवावें।
15. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर– कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
16. रक्षित पत्रावली

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प. 1(1)साप्र/2/2018 जयपुर, दिनांक 08-02-2019

–: आदेश :–

सुश्री आरती डोगरा, आई.ए.एस. संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर को उनकी प्रथम श्रेणी की वरीयता संख्या 18/2018 व सेवानिवृत्ति दिनांक 31.07.2039 है, के आधार पर नियमानुसार किराये पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवण्टन नियम, 1958 के नियम 27 के प्रावधान अन्तर्गत **आउट ऑफ टर्न** प्रथम श्रेणी का राजकीय आवास संख्या 1–ए–4, बहुमंजिला गांधीनगर, जयपुर **रिक्त होने की प्रत्याशा में** निम्न शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन किया जाता है:–

शर्तें :–

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी– चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(iii)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:–
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तंत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(महेश चन्द्र शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. सम्भागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, जयपुर।
5. संयुक्त सचिव (ज़ीबी), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर को उनकी आई.डी. संख्या एफ 19000712 दिनांक 07.02.2019 के क्रम में।
6. **सुश्री आरती डोगरा, आई.ए.एस. संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड–तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करें।**
7. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
9. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. वित्तिय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. **अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड–तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।**
12. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, गांधीनगर, जयपुर
13. उद्यानविज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
15. सहायक अभियन्ता, चौकी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, गांधीनगर–चौकी, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें, साथ ही आवण्टी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय को भी भिजवावें।
16. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर– कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
17. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
18. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प. 1(1)साप्र/2/18 जयपुर, दिनांक : 08-02-2019

–: आदेश :–

श्री भगवती प्रसाद कलाल, आई.ए.एस सयुंक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर को उनकी द्वितीय श्रेणी की वरीयता संख्या 01/2019 व सेवानिवृत्ति दिनांक 31.10.2046 है, के आधार पर नियमानुसार किराये पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवण्टन नियम, 1958 के नियम 27 के प्रावधान अन्तर्गत आउट ऑफ टर्न द्वितीय श्रेणी का राजकीय आवास संख्या 402, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर **(रिक्त होने की प्रत्याशा में)** का निम्न शर्तों के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन किया जाता है:–

शर्तें :–

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी– चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(iii)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:–
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तंत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
10. श्री भगवती प्रसाद कलाल, आई.ए.एस सयुंक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग, से कॉमन सुविधा राशि रूपये 300/– (अक्षरे रूपये तीन सौ मात्र) सीधे ही इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
11. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–सम्य पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(महेश चन्द्र शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. सम्भागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, जयपुर।
5. संयुक्त सचिव (जीबी), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर को उनकी आई.डी. संख्या एफ 19000712 दिनांक 07.02.2019 के क्रम में।
6. **श्री भगवती प्रसाद कलाल, आई.ए.एस सयुंक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड–तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करें।**
7. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
9. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. वित्तिय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. **अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड–तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।**
12. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, गांधीनगर, जयपुर
13. उद्यानविज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
15. सहायक अभियन्ता, चौकी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, गांधीनगर–चौकी, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें, साथ ही आवण्टी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय को भी भिजवावें।
16. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर– कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
17. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
18. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजकीय आवास के आवंटी संलग्न प्रपत्र में शपथपूर्वक सूचना अंकित करते अपने नियुक्ति अधिकारी/ विभागाध्यक्ष से प्रमाणित कराते हुये सार्वजनिक निर्माण विभाग की संबंधित चौकी में आवंटित राजकीय आवास का कब्जा लेते समय प्रस्तुत करेंगे। संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा आवंटी से प्राप्त उक्त प्रपत्र अनुसार आवंटन हेतु पात्र होने पर ही कब्जा प्रदान किया जावेगा तथा आवंटन आदेश जारी होने के 15 दिवस में कब्जे की रिपोर्ट के साथ प्रपत्र आवश्यक रूप से इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावेंगे।

प्रपत्र में असत्य सूचनाओं के आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है तथा कब्जे की तिथि से प्रचलित बाजार किराया दर वसूलनीय होगा।

प्रपत्र

1.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	
2.	वर्तमान पद एवं पदस्थान विवरण	
3.	जन्म दिनांक	
4.	सेवानिवृत्ति दिनांक	
5.	जयपुर शहर में राजकीय आवास हेतु जयपुर शहर में निरन्तर रूप से पदस्थापित है? जयपुर में आवास हेतु आवदेन किया जाने के पश्चात् लगातार जयपुर में ही पदस्थापित रहे है। इस माध्य में स्वयं का जयपुर से बाहर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नहीं हुआ है।	
6.	आवंटी का जयपुर शहर में कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी सदस्य के नाम निजी आवास नही है।	

आवेदक के हस्ताक्षर मय मोबाईल नम्बर

विभागाध्यक्ष /आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प.1(1)साप्र/2/2018 जयपुर, दिनांकः 08-02-2019

–: आदेश :–

श्री शशिकान्त, विशेषाधिकारी, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर जिनकी प्रथम श्रेणी की वरीयता संख्या 11/2019 है, इनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुए **आउट ऑफ टर्न के आधार** पर राजकीय आवास संख्या 1/ए/2 बहुमंजिला गांधीनगर, जयपुर **रिक्त होने की प्रत्याशा में** नियमानुसार किराया भुगतान की निम्न शर्तों के आधार पर उनके पद पर बने रहने तक के लिए एतद्द्वारा आवंटन किया जाता है :–

शर्तेः–

1. उक्त आवास का कब्जा 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा, निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो के अनुसार वसूल होगा।
3. पदमुक्त होने पर आवास रिक्त करना होगा।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

ह0
(महेश चन्द्र शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
3. सम्भागीय आयुक्त/ जिला कलक्टर, जयपुर।
4. श्री शंशिकांत, विशेषाधिकारी, मा0 मुख्यमंत्री राजस्थान जयपुर
5. संयुक्त सचिव (जी.बी.), माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय। उनकी आई.डी संख्या 19000712 दिनांक 07.02.2019 के क्रम में।
6. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
7. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर–**कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।**
9. **सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।**
10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
11. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0अभि0वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गांधीनगर, जयपुर।
12. निदेशक/उद्यानविज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
13. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग।
14. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (अनुभाग–5) विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प 1(1)साप्र/2/2018 जयपुर, दिनांक : 08-02-2019

सुश्री गुरजोत कौर,
सेवानिवृत महानिदेशक,
ह.च.मा.रीपा,
1/13, गांधीनगर,जयपुर

विषयः– राजकीय आवास 1/13, मयूर पथ, गांधीनगर,जयपुर में सेवानिवृति के उपरान्त निवास की अनुमति के संबंध मे।

सन्दर्भः– आपका पत्र क्रमांक : 347 दिनांक 18.12.2018 के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आपको इस विभाग के आदेश क्रमांक प.1(1)साप्र/2/09 दिनांक 12.02.2009 द्वारा राजकीय आवास संख्या 1/13, मयूर पथ, गांधीनगर, जयपुर आवण्टित किया गया था, जिसमें आप दिनांक 16.02.2009 से निवासरत हैं। आप द्वारा सेवानिवृति उपरान्त दिनांक 01.02.2019 से 31.05.2019 (**4 माह**) तक उक्त आवास में निवास की अनुमति चाही गयी है।

अतः प्रकरण में सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णय अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (राजकीय आवास आवंटन) नियम, 1958 के नियम 18(ए) में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नानुसार किराया भुगतान की शर्त पर आवण्टित राजकीय आवास में निवास की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है :–

समय अवधि	**किराये की लगने वाली दर**
दिनांक 01.02.2019 से 31.03.2019 तक	नियमानुसार साधारण किराया दर
दिनांक 01.04.2019 से 31.05.2019 तक	बाजार दर (सार्व. निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित)

ह०

(महेश चन्द्र शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर।
3. महानिदेशक, ह.च.मा.रीपा, जयपुर
4. संयुक्त सचिव (जीबी), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर को उनकी आई.डी. संख्या एफ 19000712 दिनांक 07.02.2019 के क्रम में।
5. जिला कलक्टर, जयपुर।
6. निदेशक, सम्पदा विभाग, सम्पदा निदेशालय, मिनी सचिवालय, जयपुर।
7. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड–तृतीय, जयपुर।
8. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव